प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — प्रार्थी
2. श्री चानण राम — अप्रार्थी संख्या 1
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 7/5/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 19 एम.ओ.डी के खाता सं. 145/35 के प.नं. 29/271 (29) किला नं. 3, 8, 13/1, 13/2, 13/3, 18, 23 की कुल 1.265 हैक. नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 19 एम.ओ.डी. के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) किला नं. 2 9/1, 912, 913, 11/1, 12, 19 ता 22 की कुल 1.885 हैक. नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। बल्कि अप्रार्थी की कृषि भूमि में रास्ता मौका पर चालू है। जिससे होकर प्राथीया अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रही है। जिसमे उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवाकर अकन किया जावे। तो अप्रार्थी को कोई उजर व एतराज नही होगा। तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व ट्रैक्टर व कृषि औजार ले जाने हेतू कोई रास्ता नही है।

यह कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं.1 के नाम में दर्ज कृषि भूमि में से चक 19 एम.ओ.डी. के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) किला नं. 21, व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा चौडा रास्ता आवागमन के लिए उपभोग मे ले रहा है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अब अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में से चक 19 एम.ओ.डी. के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) किला नं. 21, व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा चौडा रास्ता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(यानी 0.012.5—0. 012.5 हैक.) पूर्व से पश्चिम दिशा में चालू, दक्षिण दिशा के चिपते हो स्वीकृत करवाना चाहती है। उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में अप्रार्थी ने पूर्व में ही उक्त रास्ता की कीमत प्राप्त कर ली है।

यह कि प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई भी रास्ता स्वीकृत व चालू नही है । यह कि अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 19 एम.ओ.डी. के खाता सं. 35/41 के पनं 20/0713 (29) किला नं. 21, व 22 प्रत्येक में एक—एक बिस्वा चौडा रास्ता (यानी 0.012.5—0. 012.5 हैक.) (पूर्व से पश्चिम में चालू, दक्षिण दिशा में चिपता हुआ) स्वीकृत किया जावे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 09.09.2025 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वयम् हाजिर आये राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा शामिल पत्रावली है। राजीनामा के तथ्य निम्न प्रकार से है—

यह कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष का राजीनामा निम्न प्रकार से है। यह कि प्रार्थीया/प्रथम पक्ष के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 19 ऐम ओ डी के खाता सं. 145/35 के प.नं. 29/271 (29) के किला नं. 3, 8, 13/1, 13/2, 13/3, 18, 23 की कुल 1.265 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 19 एम ओ डी के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) के किला नं. 2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 12, 19 ता 22 की कुल 1.885 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला दर्ज रिकार्ड है।

यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में रास्ता स्वीकृति हेतु जैरकार जिसमें कि दोनो पक्षो द्वारा आपसी सहमती व रजामन्दी से अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि चक 19 एम ओ डी के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में एक एक बिस्वा चौडा रास्ता (यानी 0.012.5—0.012.5 हैक.) पूर्व से पश्चिम में चालु, दक्षिण दिशा में चिपता हुआ को स्वीकृत किया जाता है तो इसमें दोनो पक्षो में आपसी पूर्णत सहमती व रजामन्दी है। उक्त रास्ता में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष ने पूर्व में ही उक्त रास्ता की किमत प्राप्त कर ली है।

यह कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष का राजीनामा हो चुका है किसी प्रकार का विवाद शेष नही है सभी पक्षकार रिकार्ड पर है कोई तथ्य छुपाया नही गया है राजीनामा अनुसार प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 क राज. का. अधि. के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

यह कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष को कोई उजर व एतराज नहीं रहेगा। राजीनामा दोनो पक्षो की सहमती से व स्वतंत्र ईच्छा से बिना कोई दबाव व बहकाव के लिखा गया है । राजीनामा मे सभी पक्षकार को राजस्व रिकार्ड अनुसार पक्षकार बनाया गया है कोई तथ्य घटाया बढाया व छुपाया नहीं गया है।

अतः राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र 251 क राज.का.अधि. के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत किया जावें बिन्दुवार निम्नानुसार है— प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुदा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नहीं है। प्रार्थी के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 12 दिनांक 06.01.2026 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है जो शामिल पत्रावली है मुताबिक स्टेट जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते मे आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि रास्ते क अलावा अन्य स्वीकृत शुदा रास्ता मौके पर राजस्व रिकार्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नहीं है। प्रार्थी के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट एवं उभय पक्ष के मध्य चुंकि रास्ता को लेकर राजीनामा हो गया है इस लिए लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है–

अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 19 एम ओ डी के खाता सं. 35/41 के प.नं. 30/271 (29) के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में एक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता (यानी 0.012.5–0.012.5 हैक.) पूर्व से पश्चिम में चालु, दक्षिण दिशा में चिपता हुआ को स्वीकृत किया जाता है चुंकि मुताबिक राजीनामा अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता की एवज में राशि प्राप्त कर ली है इस लिए बिना किसी प्रतिकर के रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन वाद नहीं होने की दशा में जांच कर अमलदारागद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 7/5/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)